मध्यप्रदेश शासन
गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ0 16–1761/2009/बी–1/दो, भोपाल दिनांक 05/05/2010

प्रति,

जिला दण्डाधिकारी,
जिला–ग्वालियर,
मध्यप्रदेश।

विषय–आर्म्स डीलर लायसेंस नवीनीकरण के संबंध में।

संदर्भ–आपका ज्ञाप क्र0 क्यू/आर्म्स डीलर/नो–5/10/2009, दिनांक 29.03.2010

–00–

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें।

2– आर्म्स डीलर नवीनीकरण का नया मापदण्ड दिनांक 22.02.2010 को निर्धारित किया गया है इसमें आंशिक संशोधन दिनांक 12.03.2010 को किया जाकर कर गृह विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है। निर्धारित मापदण्ड की प्रति संलग्न प्रेषितं है।

3– उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आर्म्स डीलर नवीनीकरण के संबंध में जिला दण्डाधिकारी, ग्वालियर द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया था जिसके संबंध में स्पष्टीकरण निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर द्वारा चाहा गया मार्गदर्शन	विभागीय मत
1	ऐसे आर्म्स डीलर जिनके लायसेंस 31.12.09 तक नवीनीकृत थे, और उनका कोटा वर्तमान में स्वीकृत आर्म्स एण्ड एम्यूनेशन से अधिक होने के कारण उनके पास शस्त्र/एम्यूनेशन वर्तमान स्वीकृत संख्या से अधिक मात्रा में उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में डीलर के यहां स्वीकृत कोटे के अतिरिक्त रायफल एवं कारतूस के संबंध में क्या कार्यवाही की जाना है।	दिनांक 31 दिसंबर की स्थिति में स्टॉक में नवीनीकृत संख्या में उपलब्ध अधिक मात्रा को रखने की अनुमति रहेगी परंतु नये शस्त्र/एम्यूनेशन क्रय करने की अनुमति नवीनीकृत मात्रा की सीमा से अधिक नहीं दी जावेगी।
2	ऐसे आर्म्स डीलर लायसेंसधारी जिनके लायसेंस 31.12.09 तक नवीनीकृत थे उनमें से कतिपय लायसेंसधारियों के लायसेंस प्रपत्र 11, 12 एवं 14 नवीनीकृत नहीं किये गये हैं लेकिन उनके लायसेंस निरस्त भी नहीं किये गये हैं ऐसी स्थिति में लायसेंसधारियों के लायसेंस निलंबित रखे जाऐ या स्वतः ही निरस्त मान्य किये जाऐं साथ ही उनके यहां उक्त लायसेंस के आधार पर स्टाक में शेष शस्त्र एवं कारतूस के संबंध में क्या कार्यवाही की जाए।	आर्म्स अधिनियम की धारा 15 एवं आर्म्स नियम 1962 की धारा 54 के अंतर्गत नवीनीकरण की कार्यवाही की जाती है। जिन आर्म्स डीलर लायसेंसधारियों के नवीनीकरण नहीं हुए हैं उनके लायसेंस स्वमेव ही समाप्त हो जायेगे। इसके संबंध में अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। शेष बचे स्टॉक को जिले में संचालित शस्त्र डीलरों को हस्तांतरित करने की कार्यवाही की जाए।

निरंतर–2

3	कुछ आर्म्स डीलर लायसेंसधारियों द्वारा आर्म्स फेक्ट्रियों में आर्म्स क्रय हेतु वर्ष 2008 एवं 2009 में स्वीकृत कोटे अनुसार शस्त्रों की बुकिंग की गई थी तथा उनकी डिलेवरी फैक्ट्री द्वारा इस वर्ष दी जा रही है लेकिन इस वर्ष उनका कोटा कम हो जाने से उनके पास स्वीकृत कोटे से अधिक शस्त्र एम्यूनेशन हैं ऐसी स्थिति में फैक्ट्री से जो कोटा आवंटित हुआ है उसके उठाये जाने की अनुमति उनके द्वारा चाही जा रही है। अतः इस संबंध में क्या कार्यवाही की जाए।	आर्म्स डीलर लायसेंसधारियों द्वारा यदि दि.31.12.09 के पूर्व शस्त्रों के बुकिंग हेतु ऑर्डर दिये हैं एवं राशि संबंधित कारखाने को भेजा जा चुका है उन्हें अपनी दुकान में निर्धारित अधिकतम मात्रा की सीमा में शस्त्र/ऐम्यूनेशन रखने की अनुमति होगी, परंतु निर्धारित मात्रा से अधिक शस्त्र/एम्यूनेशन पुलिस लाईन में जमा कराने हेतु अनुमति जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रदाय की जाऐगी।

(एल0पी0जैन)
अवर सचिव
म0प्र0शासन,गृह(पुलिस)विभाग

पृ0क0 एफ0 16–1761/2009/बी–1/दो, भोपाल दिनांक 05/05/2010

प्रतिलिपि–समस्त जिला दण्डाधिकारी,मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

हस्ता/-
अवर सचिव
म0प्र0शासन,गृह(पुलिस)विभाग

शस्त्र दुकानों के नवीनीकरण के मापदण्ड

फार्म नम्बर 12 (बिकी)

1. गत तीन वर्ष के औसत बिकी/गत वर्ष के बिकी के आधार पर मापदण्ड निर्धारित किया जायेगा।
2. फार्म 12 के अन्तर्गत गत वर्ष या गत तीन वर्ष जिसकी जानकारी उपलब्ध है, के वार्षिक औसत बिकी की मात्रा (एक वर्ष की औसत बिकी के बराबर) निकाला जायेगा। इस प्रकार प्राप्त संख्या को अगले 10 के गुणक (दहाई संख्या) पर राउन्ड कर अंतिम संख्या नवीनीकरण हेतु नियत की जायेगी। इसी प्रकार कारतूसों की संख्या 1000 के अगले गुणक (हजार) पर नियत की जायेगी।
3. यदि बिकी का ऑकड़ा एक वर्ष से कम का है तो उसे अनुपातिक रुप से एक वर्ष के लिये निकाला जाएगा एवं तत्पश्चात कंडिका 2 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
4. उपरोक्तानुसार नियत की गयी संख्या निम्न तालिका के कॉलम कमांक 5 एवं 6 में दर्शित न्यूनतम संख्या तथा कॉलम कमांक 7 एवं 8 में निर्धारित अधिकतम संख्या के बीच निर्धारित की जायेगी।
5. वर्ष भर में न्यूनतम **25** हथियार या **2500** कारतूस से दोनों में कम बिकी होने पर नवीनीकरण नहीं किया जावेगा। इस स्थिति में फार्म कमांक 11 एवं 14 की अनुज्ञप्ति भी नवीनीकृत नहीं किये जाएगें ।
6. यदि किसी हथियार विशेष के लिये पूर्व में अनुज्ञप्ति जारी है परन्तु जिले से प्राप्त निरीक्षण नोट में हथियारों की बिकी निरंक हो, तो उस हथियार के लिये संख्या निम्न तालिका के कॉलम 5 एवं 6 अनुसार नवीनीकृत किया जायेगा।
7.

स.क.	शस्त्र का नाम	प्रपत्र 11 मरम्मत		प्रपत्र 12 (बिकी)				प्रपत्र 14 (सेफ कस्टडी)			
		न्यूनतम हथियार	अधिकतम हथियार	न्यूनतम		अधिकतम		न्यूनतम		अधिकतम	
				हथियार	कारतूस	हथियार	कारतूस	हथियार	कारतूस	हथियार	कारतूस
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	22 बोर रायफल	5	20	10	1000	50	5000	10	500	50	2000
2	बी एल.गन	5	50	20	2000	100	10000	20	1000	200	5000
3	रायफल	5	50	20	2000	100	10000	20	1000	200	5000
4	पिस्टल/रिवाल्वर	5	20	10	1000	50	10000	10	200	50	2000
5	एम.एल गन	5	50	10	1000	50	2000	10	1000	50	2000
6	टोपी	-	-	-	1000	-	2000	-	200	-	2000
7	12 बोर शार्टगन	5	20	10	1000	50	2000	10	200	50	2000
8	लेड शॉट	-	-	-	20 Kg	-	50 Kg	-	-	-	-

Addi[illegible]
Govt. of [illegible]
[illegible]

मरम्मत— फार्म नम्बर—11

1. प्रारम्भिंक तौर पर नए शस्त्र दुकानों में मरम्मत का लायसेंस जारी नहीं किया जाएगा। तीन वर्ष की बिक्री का संतोषजनक परिणाम आने के बाद ही मरम्मत की अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी।
2. जिनको अभी तक यह लायसेंस जारी हो चुका है, यदि उनके व्दारा मरम्मत का कार्य नगण्य है तो उनके मरम्मत के लायसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।
3. यह मापदण्ड गत 3 वर्ष/एक वर्ष जिसकी जानकारी उपलब्ध है। वर्ष भर मे मरम्मत किये गये हथियारों के वार्षिक औसत के एक तिहाई सख्या में 5 के अगले गुणक पर राउण्ड कर निर्धारित किया जायेगा।
4. मरम्मत के ऑकडों के आधार पर न्यूनतम हथियारों की मरम्मत के लायसेंस कॉलम 3 में दर्शित संख्या अनुसार जारी किया जायेगा एवं मरम्मत के लिये अधिकतम संख्या में कॉलम 4 के अनुसार जारी किया जायेगा।

फार्म नम्बर 14 सेफ कस्टडी—

1. प्रारम्भिंक तौर पर नए शस्त्र दुकानों को सेफ कस्टडी की अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जायेगी।
2. तीन वर्ष के पश्चात ही दुकानों की बिक्री के आधार पर सेफ कस्टडी के लायसेंस जारी किया जायेगा। यह लायसेंस भी कॉलम 9 एवं 10 के अनुसार न्यूनतम संख्या में तथा कॉलम नम्बर 11 एवं 12 के अधिकतम संख्या की सीमा में जारी किया जायेगा।
3. दुकानों के आकार के आधार पर एवं पूर्व के वर्षो में उसके व्दारा सेफ कस्टडी मे जमा कराये गये हथियारों के संख्या के आधार पर अधिकतम मापदण्ड और भी बढाई जा सकती है।
4. सामान्य स्थिति में यह मापदण्ड वर्ष भर में कुल जमा हुये हथियारों के अगले 10 के गुणक में राउण्ड कर निर्धारित किये जायेगें। कारतूसों की संख्या 1000 के गुणक पर नियत की जायगी।

— — — —

Addition...
Govt. ...